क्रम-सं0-154

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, दिनांक 08 सितम्बर, 2025
17 भाद्रपद, शक संवत् 1947

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल अनुभाग)

संख्या : 142/वि0स0/प0का0/76(प)/2005

लखनऊ, दिनांक 08 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री अब्बास अंसारी, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-356, मऊ को फौजदारी मुकदमा संख्या-9720/2022 एवं मुकदमा अपराध संख्या-97/2022, थाना कोतवाली, जनपद मऊ के प्रकरण में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एम0पी0/एम0एल0ए0), मऊ द्वारा दोष सिद्ध पाते हुए दिनांक 31 मई, 2025 को उनके विरुद्ध दो वर्ष से अधिक का दण्डादेश पारित किया गया था, जिसके फलस्वरूप श्री अब्बास अंसारी को दिनांक 31 मई, 2025 से निरर्ह मानते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा में उनका स्थान दिनांक 31 मई, 2025 से अधिसूचना संख्या-67/वि0स0/प0का0/76(प)/2005, दिनांक 01 जून, 2025 द्वारा रिक्त घोषित किया गया था।

श्री अब्बास अंसारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई पुनरीक्षण याचिका संख्या-3698/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री अब्बास अंसारी के विरुद्ध पारित दोष सिद्ध (Conviction) के आदेश को निलम्बित (Suspend) किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2025 को, तद्नुसार पारित आदेश के आलोक में श्री अब्बास अंसारी की ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-191(ङ), सपठित धारा-8, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मानी गई निरर्हता, न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों के अधीन, निष्प्रभावी मानी जाएगी।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 21 राजपत्र (139)-09-09-2025-585+15 प्रतियां।